

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदभदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआविनि/स्था-3/

/2025/ भोपाल,

दिनांक

//आदेश//

मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (सिविल) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (सिविल)" के पद पर वेतनमान रूपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थायी तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्र0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री अरुणेंद्र कुमार मिश्रा, पिता श्री छोटे लाल मिश्रा, पता-ग्राम-चिल्ला खुर्द पोस्ट अतरैला-12, तहसील-त्यूजर जिला-रीवा म.प्र. पिन कोड-486226 मोबाईल नंबर-9301741221	अनारक्षित वर्ग/ओपन
02	श्री शैलेन्द्र हरिऔध, पिता श्री रामदत्त सिंह हरिऔध, पता-30, महात्मा गांधी वार्ड, वार्ड क्रमांक-39, चंदनपुरा जिला-भिण्ड म.प्र. पिन कोड-477001 मोबाईल नंबर-7000424068	अनुसूचित जाति/ओपन
03	श्री सुभाषित कैथवास, पिता श्री विनोद कुमार कैथवास, पता-472, मानवता नगर, कनाडिया रोड जिला-इन्दौर म.प्र. पिन कोड-452016 मोबाईल नंबर-9074214647	अनुसूचित जाति/ओपन
04	श्री जोगेन्द्र बिल्लौर, पिता श्री प्रेमचंद बिल्लौर, पता-119, बागपुरा सांवेर रोड, जिला-उज्जैन म.प्र. पिन कोड-456010 मोबाईल नंबर-9977703543	अनुसूचित जाति/ओपन/20 संविदा कोटा
05	सुश्री प्रियंका बुके, पिता श्री दिनदयाल बुके, पता- वार्ड नं.01 देवझिरी कॉलोनी, सेंधवा जिला-बड़वानी म.प्र. पिन कोड-451666 मोबाईल नंबर-7440700332	अनुसूचित जाति/महिला
06	श्री जितेंद्र लौवंशी, पिता श्री नंद किशोर लौवंशी, पता-वार्ड क्रमांक-31, ग्वालटोली, पोस्ट-होशंगाबाद जिला-नर्मदापुरम म.प्र. पिन कोड-461001 मोबाईल नंबर-9806363839	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन
07	श्री दिग्विजय सिंह किरार, पिता श्री राजेन्द्र सिंह किरार, पता-रघुकरण टेडर्स, गल्ला मंडी मार्ग, खरी फाटक के पास जिला-विदिशा म.प्र. पिन कोड-464001 मोबाईल नंबर-9406536943	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टाइपेण्ड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।

7. अभ्यार्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता/-

(अजय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक

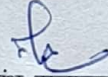
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/883 /2025/भोपाल,

दिनांक...03/04/25.....

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, 03, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 5- परियोजना यंत्री, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 संभाग-01 भोपाल की ओर निर्देशित कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।



कृते प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदभदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/

/2025/ भोपाल,

दिनांक

//आदेश//

मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (विद्युत) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (विद्युत)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

सं0क्र0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	सुश्री काजल भारती , पिता श्री छन्दु लाल अहिरवार, पता-अम्बेडकर नगर वार्ड-32/18, नया पन्ना नाका जिला-छतरपुर म.प्र. पिन कोड-471001 मोबाईल नंबर-6260432847	अनुसूचित जाति/महिला
02	श्री बिबेक सिंह, पिता श्री धीरेन्द्र सिंह, पता-35 ख, ग्राम-गजगवॉ, पोस्ट-गढ़वा कला, तहसील-कोटर जिला-सतना म.प्र. पिन कोड-485112 मोबाईल नंबर-9425455546	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन
03	सुश्री करिश्मा राठौर, पिता श्री मान अशोक राठौर, पता-सेवानगर, लोहामण्डी, जिला-ग्वालियर म.प्र. पिन कोड-474003 मोबाईल नंबर-9399042072	अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
04	श्री नितिन माथनकर, पिता श्री आनंदराव माथनकर, पता-बिजली नगर कॉलोनी, गोविन्द पूरा जिला-भोपाल म.प्र. पिन कोड-462023 मोबाईल नंबर-9039941546	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टापेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।



प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता/-

(अजय कुमार शर्मा)

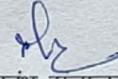
अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 884/2025/भोपाल,

दिनांक 03/04/25

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, मप्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, मप्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, 03, मप्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) मप्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 5- परियोजना यंत्री, मप्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 संभाग-01 भोपाल की ओर निर्देशित कर वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, मप्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यर्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।



कृते प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल